

## फर्द अहकाम

### कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :- श्रीमती प्रताबीबाई

किस्म मुकदमा – विविध आ. 9 नि. 9 जा.दी.

विपक्षी :- श्री कुबेरनाथ

पत्रावली संख्या : 110/24

जीसीएमएस : 2024/441

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पदों तथा सुनाए जाये की गईं
	<p>दिनांक : 02.12.2024</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा उपस्थित होकर मूल वाद व प्रतिवाद को नम्बर पर लिये जाने पर सहमति व्यक्त की।</p> <p>हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का अध्ययन किया। मूल पत्रावली सं. 42/22 वाद प्रताबी बाई बनाम कुबेरनाथ का अवलोकन किया। उक्त प्रकरण न्यायालय हाजा में विपक्षी/वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिसमें प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा काउन्टर क्लेम पेश किया गया था। विपक्षी का वाद दिनांक 05.09.2024 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो चुका हैं परन्तु प्रतिवाद के सम्बन्ध में आदेशिका पर किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं किया गया हैं। प्रार्थी व विपक्षी द्वारा वाद व प्रतिवाद पुनः नम्बर पर लिये जाने का निवेदन किया गया। मूल वाद के अवलोकन से जाहिर आया है कि प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की जा चुकी हैं। जिसकी पालना रिपोर्ट भी पत्रावली पर उपलब्ध हैं। अतः प्रकरण अन्तिम स्तर पर होने से प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया जाना न्यायोचित पाया जाता हैं। अतः प्रार्थी व विपक्षी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 जा.दी. का न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।</p> <p style="text-align: center;"><b>—: आदेश :—</b></p> <p>परिणामस्वरूप प्रार्थी व विपक्षी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 जा.दी. का न्यायहित में स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय के प्र.स. 42/22 वाद प्रताबीबाई बनाम कुबेरनाथ में आदेश दिनांक 05.09.2024 को अपास्त किया जाता है तथा मूल वाद व प्रतिवाद को पुनः नम्बर पर लिया जाने का आदेश दिया जाता है। प्रकरण में वादी व प्रतिवादी उक्त कोस्ट की राशि राजकोष मे जरिये चालान जमा करा चालान की प्रति पत्रावली में पेश करे। उभय पक्षकारान मूल वाद की पेशी दिनांक 13.01.2025 को न्यायालय हाजा में उपस्थित रहे। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर मूल पत्रावली के साथ संलग्न रहे।</p> <p>निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.) सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p>	

